आदेश का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

29.7.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 230/2015–16

1. श्री जुगल किशोर विश्वास व नवल किशोर विश्वास व नागेश्वर विश्वास व सीता राम विश्वास, सभी पिता–स्व0 कुसुम लाल विश्वास, ग्राम–पोठिया, थाना–पलासी, जिला–अररिया
2. बबीता देवी, पति–स्व0 अमर विश्वास, ग्राम–पोठिया, थाना–पलासी, जिला–अररिया – आवेदकगण

बनाम

1. मेघु माँझी, पिता–कैलू माँझी, सा0–ग्यासपुर
2. मो0 कजीम उद्दीन, पिता–स्व0 अफीउद्दीन, सा0–बेनी
3. महंगी देवी, पिता–जिनलाल माँझी, सा0–बेनी
4. सरीफ उद्दीन, पिता–स्व0 अफीउद्दीन, सा0–बेनी
5. नंदलाल माँझी, पिता–स्व0 महंत लाल माँझी, सा0–बेनी, थाना–पलासी, जिला–अररिया
6. मो0 दाउद, पिता–स्व0 अजहर अली, सा0–ग्यासपुर, थाना–पलासी, जिला–अररिया

आदेश

प्रस्तुत वाद आवेदक श्री युगल किशोर विश्वास व नवल किशोर विश्वास व नागेश्वर विश्वास व सीता राम विश्वास, सभी पिता–स्व0 कुसुम लाल विश्वास एवं श्रीमती बबीता देवी, पति–स्व0 अमर विश्वास, सभी ग्राम–पोठिया, थाना–पलासी, जिला–अररिया की ओर से अंचलाधिकारी, पलासी के समक्ष दाखिल आवेदन कि भूहदबंदी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना सं0 128, दिनांक 29.3.1976 द्वारा भूधारी की अर्जित भूमि से अधिक भूमि का वितरण एवं जमाबंदी दर्ज कर दिया गया है। जिसका वितरण से संबंधित अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है और वितरण पंजी के आधार पर बिना गजट से मिलान कर अर्जित जमीन से अधिक जमीन का जमाबंदी अवैध रूप से दर्ज कर दिया गया है। फलस्वरूप हम भूधारी के धारित जमीन का रकवा प्रभावित हुआ और खरीदगी जमीन जो भूधारी के धारित यूनिट में रहा उसका भी नामान्तरण अवरूद्ध है। जिसके आलोक में अंचलाधिकारी, पलासी द्वारा निम्न विवरण की भूमि का दर्ज जमाबंदी को रद्द करने हेतु अपनी अनुशंसा एवं सम्पूर्ण वस्तुस्थिति सहित जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 01/2015–16 इस न्यायालय को प्रेषित किया गया।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
ग्यासपुर	121	175	269	1.64 ए0
		191	452	22.50 ए0
				कुल 24.14 ए0

तत्पश्चात् अंचल अधिकारी, पलासी से अवैध रूप से दर्ज जमाबंदी के रैयतों के दस्तावेज से संबंधित प्रतिवेदन की माँग कार्यालय पत्रांक 2048/रा0, दिनांक 31.12.2015 द्वारा की गई, जिसके क्रम में अंचल अधिकारी, पलासी द्वारा उनके प्रतिवेदन पत्रांक 433, दिनांक 9.8.2016 द्वारा प्राप्त हुआ। प्रथम पक्षों को स्थिति स्पष्ट करने हेतु सूचना निर्गत की गई। साथ ही जमाबंदी सं0 40 के पर्चाधारी माही लाल चौपाल, पिता–सतन लाल चौपाल को सूचना निर्गत की गई। पक्षकार उपस्थित हुए। प्रथम पक्ष की ओर से विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि गजट नोटिफिकेशन से अधिक की जमीन का लाल कार्ड वितरण है, जो जाँच का विषय है। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, पलासी से कार्यालय पत्रांक 12/रा0(न्या0), दिनांक 25.2.2017 द्वारा भूहदबंदी वितरण पंजी तथा संबंधित कागजात की माँग की गई, किन्तु अंचलाधिकारी, पलासी द्वारा वितरण पंजी की छाया प्रति के आलावा अन्य कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। उनका कहना है कि मूल अभिलेख उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। जैसा कि उन्होंने पूर्व में अपने पत्रांक 143, दिनांक 24.2.2014 द्वारा भी प्रतिवेदित किया है।

विपक्षीगणों की ओर से दाखिल लिखित बहस के अनुसार प्रथम पक्ष आवेदकगणों के आवेदन के आलोक में चलाया गया, यह वाद निर्वहन योग्य नहीं है, क्योंकि आवेदक का यह आरोप कि भूहदबंदी वाद के तहत वितरित की गई जमीन से अधिक जमीन का जमाबंदी दर्ज किया गया है, तथ्यहीन एवं षडयंत्रकारी है ताकि लाल कार्डधारियों की भूमि को अपने कब्जे/अधिकार में कर सके।

इनका यह भी कहना है कि भूहदबंदी में अर्जित अलग–अलग खाता, खेसरा की प्राप्त भूमि भूहदबंदी वाद सं0 67/1976–77 द्वारा लाल कार्ड विपक्षीगणों को निर्गत है और सभी विपक्षीगणों को अलग–अलग जमाबंदी भी दर्ज है तथा लाल कार्ड प्राप्त भूमि पर शांतिपूर्वक दखलकार होकर जोत आवाद करते आ रहें हैं। वर्ष 2014 से अंचलाधिकारी को प्रथम पक्ष द्वारा दिये गये आपत्ति आवेदन के आलोक में विपक्षीगणों के नाम लाल कार्ड द्वारा प्राप्त भूमि का लगान रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। श्रीमान् के कार्यालय पत्रांक 94, दिनांक 20.1.2014 द्वारा अंचलाधिकारी, पलासी से माँगा गया बिन्दुवार प्रतिवेदन के क्रम में अंचलाधिकारी, पलासी ने अपने पत्रांक 143, दिनांक 24.2.2014 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया कि प्रश्नगत खाता 175, खेसरा सं0 263 एवं खाता 191, खेसरा 452 से संबंधित भूमि का वितरण भूहदबंदी बन्दोबस्ती वाद सं0 67/1976–77 द्वारा विपक्षीगणों के नाम बंदोबस्ती द्वारा लाल कार्ड निर्गत है तथा सभी का जमाबंदी भी विधिवत कायम है, जिसे रद्द किया जाना उचित नहीं है। अतः आवेदक के आपत्ति आवेदन को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

अंचलाधिकारी, पलासी के पत्रांक 250, दिनांक 1.6.2015 द्वारा प्राप्त जमाबंदी निरस्त/संशोधन अभिलेख सं0 01/2015–16 में दर्शाया गया प्रतिवेदन/अनुशंसा से

स्पष्ट है कि :–

1. जिला गजट अधिसूचना सं0 128, दिनांक 29.3.1976 के द्वारा प्रश्नगत भूमि के खेसरा सं0 269 का कुल रकवा मात्र 22 डी0 अधिशेष घोषित है। जिसके विरूद्ध बुद्धु कोल को बिना वाद सं0 के प्रश्नगत खेसरा से कुल रकवा 22 डी0 भूमि का वितरण किया गया है, साथ ही जिसका जमाबंदी सं0 35 दर्ज की गई है।

2. प्रश्नगत खेसरा सं0 269 में वाद सं0 67/1976–77 द्वारा रकवा 1.64 ए0 भूमि का वितरण मो0 सरफुद्दीन को दर्शाया गया है तथा जिसका जमाबंदी सं0 57 दर्ज की गई है। इस प्रकार खेसरा सं0 269 में अर्जित रकवा 22 डी0 के अतिरिक्त रकवा 1.64 ए0 भूमि का अधिक जमाबंदी दर्ज की गई है।

3. प्रश्नगत मौजा के अन्तर्गत खाता सं0 191, खेसरा 452 के अन्तर्गत मात्र 5.00 एकड़ भूमि अर्जित घोषित है, जिसके विरूद्ध कुल 22 व्यक्तियों के नाम 22.50 एकड़ भूमि का जमाबंदी सं0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 29, 30, 31 एवं 33 दर्ज है, जो अर्जित भूमि 5.00 एकड़ से अधिक कुल रकवा 17.50 एकड़ का अधिक जमाबंदी दर्ज है। साथ ही कंडिकावार यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि :–

(A) बिना वाद सं0 एवं आदेश का पूर्व में पदस्थापित हल्का कर्मचारी के द्वारा अवैध रूप से जमाबंदी का संधारण किया गया है।

(B) कोई भी अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

(C) गजट के विपरीत 0.22 ए0, 5.00 एकड़ के विरूद्ध 1.64 एकड़ एवं 17.50 एकड़ अधिक भूमि का जमाबंदी कायम किया जाना युक्ति संगत नहीं है।

(D) बिना आदेश के लाल कार्डधारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये पर्चा के आधार पर जमाबंदी का संधारण किया गया है।

(E) जमाबंदी सं0 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 29, 30, 31, 33 एवं 40 अवैध रूप से कायम है, जिसका कोई अभिलेख नहीं हैं।

(F) वर्त्तमान में भूस्वामी के दखल में अधिशेष भूमि के अलावे शेष भूमि हैं।

(G) अवैध रूप से दर्ज की गई जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है। साथ ही यह भी प्रतिवेदित किया है कि पत्रांक 143, दिनांक 24.2.2014 द्वारा विषयान्तर्गत भेजा गया जाँच प्रतिवेदन बिना आवश्यक छानबीन किये भूलवश प्रतिवेदित कर दिया गया है, जिसे सही नहीं माना जाय।

वही दूसरी ओर इस कार्यालय के पत्रांक 2048, दिनांक 31.12.2015 द्वारा अंचल अधिकारी, पलासी से माँग की गई थी कि जमाबंदी सं0 1 से 33 तक दर्ज की गई जमाबंदी का आधार क्या है ? के क्रम में अंचलाधिकारी, पलासी का प्राप्त प्रतिवेदन पत्रांक 433, दिनांक 09.08.2016 द्वारा प्रतिवेदित है कि दर्ज जमाबंदी सं0 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 29, 30, 31, 33 एवं 40 लाल कार्ड के आधार पर दर्ज है। किन्तु अंचलाधिकारी का आदेश पंजी–II में अंकित नहीं है तथा लाल कार्डधारी

भूमि पर दखलकार है। भूहदबंदी पंजी में अंकित जमाबंदी सं0 40 लालकार्ड मोही लाल चौपाल, पिता–सतन लाल चौपाल का नाम अंकित नहीं है तथा शेष सभी पर्चाधारियों का नाम दर्ज है। न्यायालय द्वारा लाल कार्डधारी मोही लाल चौपाल को सूचना निर्गत की गई थी, वे न्यायालय में अधिवक्ता शक्ति पत्र सहित हाजिर हुए। परन्तु उनके द्वारा इस वाद में अपना कोई पक्ष नहीं दाखिल किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं रह गई है। अंचलाधिकारी के पत्रांक 433, दिनांक 9.8.2016 से प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि भूहदबंदी वितरण वाद सं0 78/1976–77 एवं 06/1976–77 द्वारा प्रश्नगत भूमि में अधिशेष घोषित रकवा से अधिक की जमाबंदी कायम है। अतएव किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले इस मामलें की गहराई से जाँच की आवश्यकता के साथ–साथ अधिशेष घोषित भूमि/रकवा से अधिक का लाल कार्ड एवं उसके आधार पर दर्ज जमाबंदी का मिलान/सत्यापन भी आवश्यक है।

अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया को आदेश दिया जाता है कि स्वयं स्थलीय जाँच कर एवं अधिशेष घोषित भूमि की गजट नोटिफिकेशन तथा वितरण अभिलेख एवं कागजी साक्ष्यों के जाँचोपरांत नये सिरे से अभिलेख खोलकर अग्रेत्तर कार्रवाई करें। अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संसोधित

ह०–

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह०–

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 107 /रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 29 / 07 /2017

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया को अंचलाधिकारी, पलासी के जमाबंदी रद्दीकरण अभिलेख सं0 01/2015–16 मूल के साथ सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

29.7.17

अपर समाहर्त्ता,
अररिया

NIC.
Araria.